[Mr. Speaker].

Nobody's name is eliminated. Therefore you do not bring in any complaint or anything like that. Ultimately, I am responsible, whoever does it. Nobodys name is eliminated on any ground. We would like to be as impartial as possible.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South DELHI): Today there are only three names. Are you giving us a chance?

श्री प० ला० बारूपाल : (गंगानगर) : आपने अध्यक्ष महोदय कहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राथमिकता दी जानी है । मैं समझ नहीं पा रहा हुं कि महत्वपूर्ण प्रश्न का अर्थ क्या है ? मैंने एक कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था । वह राजस्थान के अन्दर बीकानेर जिले में हुई मृत्युओं के बारे में था । एक सप्ताह पहले वहां बाईस आदमियों की मृत्यु हो गई है उन शिविरों में जहां उनको रखा गया । क्या यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है मैंने इसके बारे में कटिंग भी दिया था और तार भी मेरे पास आया है । मुझे अफसोस है कि हमारे विरोधी भाई जब छोटी छोटी चीजों के बारे में चिल्लाते है तो आप उन से डर जाते हैं और भयभीत हो कर उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं । हम जो कुछ कहते हैं उसकी आप परवाह ही नहीं करते हैं.....

SHRI BAL RAJ MADHOK: Sir, it is an aspersion on the Chair. We resent it; we object to it.

MR. SPEAKER: Some hon. Members do not mean what they say. There is no point in our getting irritated. He does not mean it at all. Rajasthan famine is very important. It is not a question of Call Attention notice. I have allowed a discussion for two hours. Today evening, we are discussing it. It is not that it is not important. The hon. Member does not mean it. He is a good man. We now take up Call Attention Notice.

Shri B. K. Daschowdhury.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

AUCTION OF PROPERTIES OF EAST PAKISTAN DISPLACED PERSONS

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): Sir. I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

> Reported auction sale of the properties of the Indian citizens who migrated to India from East Pakistan after partition by the East Pakistan Government as Enemy Properties and taking over by Pakistan of the assets of the Premier Insurance Company of India.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): During and soon after the 1965 conflict, the Government of Pakistan took over Indian properties in East Pakistan including the properties of persons who had migrated from East Pakistan to India earlier, and declared these to be enemy property.

Under Article VIII of the Tashkent Declaration signed in January 1966, the two sides had agreed:

> "to discuss the return of the property and assets taken over by either side in connection with the conflict."

India immediately thereafter expressed its readiness to discuss the subject of the return of properties and assets taken over by either side. But Pakistan did not respond. Subsequently in 1967, Pakistan forcibly seized several properties belonging to resident minorities in East Pakistan and declared these also to be enemy properties.

In October 1968, it was confirmed that the Government of Pakistan were

disposing of by auction some of the properties seized during and after the 1965 conflict.

The Government of India has been in touch with the Government of Pakistan on this question ever since 1966. The Government has been drawing the attention of the Government of Pakistan to the relevant provision of the Tashkent Declaration and pressing for a discussion on the reciprocal return of seized assets and properties. We have also been protesting against the fresh seizure of properties as well as against their sale. We have pointed out that such action on their part is arbitrary and contrary to International Law and practice and a flagrant violation of the Tashkent Declaration.

None of the properties to be auctioned are perishable goods. Nor has the Government of Pakistan notified us that any of these are deteriotating Even in these cases the disposal should be effected by agreement between the two Governments and it has to be ensured that the property is not sold at a throw-away price, and the sale proceeds thereof continue to be deposited with Government, to be taken into account at the time of the return of the properties and assets.

We have also made it clear to Pakistan that we would not recognize the title that Pakistan or any third party might claim to have acquire by such illegal sale by auction or other means.

So far, there has been no positive response from the Government of Pakistan on this question.

As regards the taking over by Pakistan of the assets of the Premier Insurance Company of India, the Government have seen press reports to this effect in yesterday's papers and will decide upon action after acertaining the full facts.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Sir the statement made by the hon. Minister simply shows how helpless our Government is at the high-handedness of Pakistani Government. From time to time, they are acquiring properties and disposing of properties according to their own fashion in flagrant violation of international law. It is not only a question of international law but, as stated by the hon. Minister, it is also in flagrant violation of the terms and conditions of the Tashkent Declaration. What do we find here? We find the weakness that has been shown by the Government for the last 22 years or 21 years, i.e., from the date of Partition. This weakness of our Government has strengthened the Pakistanis to take away the properties of the minorities in Pakistan. I have seen the proceedings of 1964; on the 3rd April, 1964, in this August House a Resolution was adopted on the question of the affairs of the minorities in East Pakistan to refer the matter to the U.N.O. I do not know whether any of the hon. members knows whether this Resolution has been carried out by this Government. Nowhere the affairs of the minorities, the properties of the Indian citizens lying in East Pakistan, have been considered by the Government, and as a result, Pakistani Government are taking this course of high-handedness. What we are seeing today is this. The lives of eight million minorities who are still living in East Pakistan are in danger; their properties worth a few thousand crores of rupees are to be destroyed, are to be taken over at throw-away prices Still, the Government is saying that we are trying with the Government of Pakistan, and Government of Pakistan is not responding. In this context, may I know from the Government, whether this Government is willing to take a strong measure and not merely send protest letters in various means; by "strong measure" I mean this: I want to know whether the Government is willing to take the process of intervention as it has been done in other countries in the world, in Turkey and others; the great powers took interest even in the domestic affairs of Turkey. It will not take away any of

[Shri B. K. Daschowdhury].

the rights of the Government of India under artic!e 2, Clause 7, which is known as the 'domestic jurisdiction' clause of the United Nations Charter. I wouldd like to know whether the Government is prepared to take this action.

Secondly, in regard to compensation to the displaced persons in the case of West Pakistan for the properties lost and taken over by Pakistan illegally and in flagrant violation of international law, I want to know whether the Indian citizens will be paid the compensation for the loss of their properties.

Thirdly, I would like to know what action the Government will take to protect the lives and properties of the eight million minorities who are still living in Pakistan.

SHRI B. R. BHAGAT: I fully appreciate the sentiments expressed by the hon. Member. But I would like to humbly implore on him that he should not mistake it for any weakness on our part if we are not able to solve some of these problems with Pakistan, there is no weakness. He said that we should not merely send protest notes but take a stronger measure.... (*Interruptions*) I do not know what stronger measure the hon. Member suggests

Then, he says that we should take retaliatory action. So far as the question of properties seized is concerned, Pakistan is taking advantage of the fact that they have seized four times more Indian properties in Pakkistan than we have. So, even if we take a retaliatory action, it will be to Pakistan's advantage apart from the fact that it will be contrary to the agreement between the two countries and the internaional law. Pakistan would like us to take such a retaliatory action because, by that, they will get four times more than what they would lose. So, this is not the answer to it...... (*Interruption*).

श्री कंवरलाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : सरकार ने पाकिस्तान की प्रापर्टी युनिलेट्रली क्यों रिलीज कर दी थी ?

MR. SPEAKER: I would request him to answer only Mr. Daschowdhury.

SHRI B. R. BHAGAT: I will reply only to his question. So far as the minorities in Pakistan are concerned, their lives are in constant danger and threat; they are living in insecurity. Both Pakistan and India have, as a result for the Nehru-Liaquat Agreement, assumed the responsibility for creating this security and safety and the responsibility lies with either Government. The Pakistan Government is not realising its responsibilities. We are trying to persuade them to do so. And, according to us, the whole question of climate depends upon the good relations between these two countries.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): Liaquat Ali agreement is dead as dodo Sir. What is the use of it now?

SHRI B. R BHAGAT: It is no use throwing the hand in despair. We don't do that. Our intention is that all disputes including this should be settled according to certain principles of agreement entered into by these two Government, the Declaration that the two Governments have underaken and as per the principles of international law and practice; and it will be our duty and we are persuading Pakistan to do so. Secondly any other problem whether it is of the climate and all that, can be settled only if the relations between the two Governments are good and a climate of confidence is created. We are trying to do that. I don't know what other measures in the existing situation we can think of.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Is he thinking of raising the issue before The U.N.O.? (*Interruption*).

MR. SPEAKER: UNO is different. Please resume your seat.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: In 1964 the Resolution was passed. What happened to that? (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Order please. Please resume your seat. Shri George Fernandes.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इतनी बेशर्म सरकार है कि इस से प्रश्न पूछने में हमें शर्म लगती है । जो बयान इन्होंने अभी पेश किया इस को अगर आप देखें :

> "As regards the taking over by Pakistan of the assets of the Premier Insurance Company of India, the Government have seen press reports to this effect in yesterday's papers and will decide upon action after ascertaining the full facts"

समझ में नहीं आता कि सरकार, इतनी बड़ी ताकत रखने वाली सरकार को अखबारों के जरिए मालूमात हासिल करने पड़ते हैं कि हिन्दुस्तान की एक बीमा कम्पनी का माल मत्ता पाकिस्तान की सरकार ने जब्त कर लिया । इसी बयान से यह भी मालूम है कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने जो भी माल मत्ता हम लोगों का लिया उस के बाद ताशंकद का करार होने के बाद भी यानी 1967 में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के अल्प संख्यकों की कई जायदादों को जब्त कर लिया और मंत्री महोदय हमें यह बताते हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए और बातचीत कर के हमारे और उनके बीच में जो फैसले हैं चाहे वह नेहरू-नून पैक्ट हो, नेहरू लियाकत पैक्ट हो या अभी का आपका ताशकंद डीक्लेरेशन हो, इनके ही माध्यम से इस मसले को पूरा करना चाहिए । मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, 14 अगस्त को इस सदन में जो बहस हुई थी तो मुहम्मद शकोकुरेशी ने इसी बारे में एक बात बताई थी, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य हमारी मुश्किल को जानते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान बातचीत करके किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है । तो अब अध्यक्ष महोदय, मामला बिलकुल साफ है कि पाकिस्तान किसी भी मसले पर हम लोगों से बातचीत कर के फैसला करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार इस बयान में खुद कहती है कि :

> "We have also been protesting against the fresh seizure of properties as well as against their sale. We have pointed out that such action on their part is arbitrary and contrary to International Law and practice and a flagrant violation of the Tashkent Declaration."

तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को मानते हो कि इंटरनेशनल ला का यहां पर फ्लैग्रेंट वायलेशन हुआ है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए, हेग में या दूसरे किसी भी इंटरनेशनल मंच पर जाने के लिए आप क्यों हिचक रहे हैं ?

और दूसरे, अभी अभी पूर्व पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान असेम्बली के सदस्य श्री पुलिन डे हिन्दुस्तान आए हैं, वह अपनी तमाम जायदाद वहां छोड़ कर आए हैं जैसे लाखों अल्पसंख्यक कई वर्षों से यहां पर आ रहे हैं । वह प्रधान मंत्री से मिले थे और इसलिए मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं जब पुलिन डे आप से मिले तो उन्होंने आप को कोई जानकारी दी ? उस में उन्होंने वहां अल्पसंख्यकों की आज जो हालत है उस के बारे में कोई जानकारी दी और उस पर आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत: माननीय सदस्यों ने एक सुझाव दिया है कि इस मामले को ले कर हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिये तो उस सुझाव पर हम विचार करेंगे ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : और पुलिन डे वाली बात ?

श्री ब० रा० भगत : वह प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : तो उस पर प्रधान मंत्री क्या करने जा रही हैं ?

श्री ब० रा० भगत : बिना विचार किए क्या कहा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : विचार कर रहे हैं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : कब तक विचार करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री से कहिए, वह उत्तर दें । उन से बात पूछी जा रही है ।

श्री ब० रा० भगत : जो उन्होंने कहा है उस को हम ने अपने हाईकमिश्नर को लिखा है । उस पर उन के विचार मांगे हैं और सारी बातों पर विचार कर के उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री इस के बारे में जिम्मेदारी से उत्तर दें । अभी जो वक्तव्य सदन की मेज पर रखा गया है उस में कहा गया है कि पुरानी संधियां हैं, नेहरू-लियाकत सन्धि, नेहरू-नून संधि और ताशकंद डिक्लेरेशन इन से हम बंधे हुए हैं । मैं पूछना चाहता हूं संधियां दो के बीच में होती हैं या एक के बीच में होती हैं ? इन में से किसी एक संधि पर भी पाकिस्तान ने अमल किया और यदि गवर्नमेंट यह मानती है कि पाकिस्तान ने न नेहरू-लियाकत ऐग्रीमेंट पर अमल किया, न नेहरू-नून ऐग्रीमेंट पर अमल किया और न ताशकंद डिक्लेरेशन पर अमल कर रहा है और जैसा पुलिन डे ने बताया, और गवर्नमेंट भी जानती है कि पाकिस्तान सरकार के आर्डर्स हैं कि किसी भी माइनारिटी के आदमी को किसी प्रकार का इम्पोर्ट लाइसेंस या एक्सपोर्ट लाइसेंस न दिया जाय, न किसी को कोई बिजनेस करने दिया जाय, न किसी को कोई सरकारी नौकरी दी जाय, इस समय वहां पर माइनारिटीज की परसेंटेज वही है जो हिन्दुस्तान में मुस्लिम माइनारिटी की है, लेकिन आज वहां पर एक भी माइनारिटी का आदमी किसी भी पोस्ट पर नहीं है, राष्ट्रपति या गवर्नर या जज होने की बात तो अलग है कोई तहसीलदार भी वहां आज नहीं है और उन के साथ जिम्मी जैसा सलूक किया जा रहा है,

जजिया वाली बात वहां उन के साथ की जा रही है तो इन हालात के अन्दर यह कहना कि हमारे एग्रीमेंट्स हैं, इस का क्या मतलब है ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब कि पाकिस्तान की ओर से आप को कोई भी पाजिटिव रेस्पांस नहीं मिलता, आप प्रोटेस्ट नोट भेजते हैं और वह रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, इन हालात में क्या आप पाकिस्तान के साथ रेसीप्राकिल ऐक्शन लेने को तैयार हैं ? आप ने कहा कि उन के पास 4 गुनी अधिक प्रापर्टी सीज की हुई है, हमारे पास कम है । मगर जो 4 गुनी अधिक है उसको वह बेच देंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रापर्टी आप ने बताई, उस के अलावा भी बहुत सारी प्रापर्टी है उन की जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हैं या और इसी प्रकार के दूसरे लोग भी हैं जो चले गये हैं उन की प्रापर्टी भी सीज कर के और नीलाम कर के जिन की प्रापर्टी को पाकिस्तान बेच रहा है उन को कम्पेन्सेट करेंगे ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि चूं कि पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार नहीं है इसलिए क्या आप पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले पर तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान आप को यह न कहे, केवल जबानी नहीं, अमल कर के कि वह पुराने ऐग्रीमेंट्स पर अमल कर रहा है या उन पर अमल करने को तैयार है ? अगर वह उन पर अमल करने को तैयार नहीं है तो फिर नई नई बात करना, कभी फरक्का के बारे में कभी और किसी के बारे में, इसका क्या मतलब है ?

तीसरा यह कि जैसे आप ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के साथ साथ दुनिया भर के अन्दर......

श्री ब० रा० भगत : यह वह कह रहे है, मैंने नहीं कहा ।

श्री बलराज मधोक : आप ने कहा कि ले जायं, इस पर विचार करेंगे ।

श्री ब० रा० भगत : कोई कमिटमेंट नहीं है । जब माननीय सदस्य कोई सुझाव देते हैं तो उस पर हम विचार करेंगे ।

श्री बलराज मधोक : तो क्या आप अपनी डिप्लोमेटिक एजेंसी से दुनिया के अन्दर जितने भी मुल्क हैं उन सब को इस बात से अवगत करेंगे कि पाकिस्तान इस प्रकार का बारबेरियन रवैया अपना रहा है, इंटरनेशनल ला को तोड़ रहा है, ताकि उस के द्वारा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का जवाब मिल सके ?

चौथा मेरा प्रश्न है कि जब यह हालत है कि पाकिस्तान किसी भी ऐग्रीमेंट पर बात करने को तैयार नहीं है तो फिर क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से क्लाइमेट इम्प्रूव हो सकती है ? क्या आप अपने दिमाग से यह फितूर निकालेंगे कि पाकिस्तान से क्लाइमेट इम्प्रूव होने वाली है और पाकिस्तान से शत्रु देश के रूप में हम डील करें ।

श्री ब० रा० भगत : यह बात सही है कि पाकिस्तान के साथ इस समय जैसा वातावरण है, वह बहुत अच्छा नहीं है । यह बात भी सही है और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों के फायदे में है कि वातावरण ठीक हो तथा अभी माननीय सदस्य ने जो दुश्मनी की बात कही है, वह दोस्ती के रूप में थोड़ा बहुत बदले । इस लिये हम ने उन से कहा है कि हमारे जो मसले हैं, उन को हम बातचीत से सुलझायें । चूंकि पाकिस्तान ने पिछले दिनों किसी करारनामे पर सही काम नहीं किया है, तो उस की बिना पर हम उन से कोई बात ही न करें, यह नीति ठीक नहीं लगती । इस लिये जहां भी कोई रास्ता हो, यदि उन मसलों को सुलझाया जा सकता है तो हम सुलझाने की नीति में विश्वास करते है ।

माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा जिसे सुन कर मुझे हैरानी हुई—क्या जो प्रापर्टीज यहां पर हैं, उन को बेच कर हम उन लोगों को मुआवजा दे देंगे, उन को मालूम है कि ऐसी सारी प्रापर्टीज—कान्टेनेन्ट्यशयल-टाक्स में जो फहरिस्त पिछले सवालों में दी गई है—उस के मुकाबले में जो प्रापर्टीज भारतीय वहां के छोड़ आये है, वह बहुत ज्यादा है । पाकिस्तान तो चाहता है कि वे उनको ले लें, लेकिन यह हमारे फायदे में नहीं है और सिद्धान्त के हिसाब से भी ठीक नहीं है ।